

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र

प्रलिस के लयः

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय साक्ष्य अधनियम 1872, शॉर्ट सेलगि

मेन्स के लयः

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र, संबंघति मुद्दे और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(Supreme Court- SC\)](#) ने अडानी-हडिनबर्ग मामले से संबंघति सरकार के "सीलबंद कवर (Sealed Cover)" सुझाव को खारज़ि कर दया है ।

- केंद्र सरकार ने पहले बाज़ार नयामक ढाँचे का आकलन करने और अडानी-हडिनबर्ग मुद्दे से संबंघति उपायों की सफारश करने हेतु समति के सदस्यों के नाम प्रस्तावति कयि थे ।
- लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शति बनाए रखने हेतु सीलबंद कवर/लफिफे में नामों पर कसि भी सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दया ।

नोटः

- हडिनबर्ग रसिर्च ने आरोप लगाया है क अडानी समूह "स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधडी में संलपित था" ।
- हडिनबर्ग यूएस-आधारति नविश अनुसंधान फर्म है जो एक्टविसिट [शॉर्ट-सेलगि](#) में वशिषिटता रखता है ।

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र

- परचियः
 - यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी-कभी नचिली न्यायालयों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रथा है, जसके तहत सरकारी एजेंसयों से 'सीलबंद लफिफों या कवर' में जानकारी मांगी जाती है और यह स्वीकार कयि जाता है क केवल न्यायाधीश ही इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं ।
 - यद्यपि कोई वशिषिट कानून 'सीलबंद कवर' के सदिधांत को परभाषति नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय के नयिमों के आदेश XIII के नयिम 7 और भारतीय साक्ष्य अधनियम 1872 की धारा 123 से उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करता है ।
 - न्यायालय मुखयतः दो परसिथतियों में सीलबंद कवर में जानकारी मांग सकता है:
 - जब कोई जानकारी चल रही जाँच से जुड़ी होती है,
 - जब इसमें व्यक्तगित अथवा गोपनीय जानकारी शामिल हो, जसके प्रकटीकरण से कसि व्यक्ति की गोपनीयता या वशिवास का उल्लंघन हो सकता है ।
- सर्वोच्च न्यायालय नयिमों के आदेश XIII का नयिम सं. 7:
 - यदि मुखय न्यायाधीश अथवा न्यायालय कुछ सूचनाओं को सीलबंद कवर में रखने का नरिदेश देते हैं या इसे गोपनीय प्रकृति का मानते हैं तो कसि भी पक्ष को इस प्रकार की जानकारी की सामग्री तक पहुँच की अनुमति नहीं दी जाएगी, सविय इसके का मुखय न्यायाधीश स्वयं आदेश दें क वरिधी पक्ष को इसकी अनुमति दी जाए ।
 - यदि कसि सूचना का प्रकाशन जनता के हति में नहीं है तो उस सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है ।
- भारतीय साक्ष्य अधनियम, 1872 की धारा 123:
 - राज्य के मामलों से संबंघति आधिकारिक अप्रकाशति दस्तावेज़ संरक्षति होते हैं और एक सार्वजनिक अधिकारी को ऐसे दस्तावेज़ों का

खुलासा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।

- अतिरिक्त परस्थितियाँ जिनमें गोपनीय या गुप्त रूप से जानकारी मांगी जा सकती है, उनमें ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं जिनमें इसका प्रकटीकरण चल रही जाँच को प्रभावित करने क्षमता रखता हो, उदाहरण के लिये, कोई ऐसी जानकारी जो पुलिस केस में शामिल जानकारी से संबंधित हो।

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र से संबंधित मुद्दे:

- **पारदर्शिता की कमी:**
 - सीलबंद कवर न्यायशास्त्र कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सीमित कर सकता है, क्योंकि सीलबंद कवर में प्रस्तुत साक्ष्य अथवा तर्क जनता या अन्य पार्टियों के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं।
 - यह एक खुले न्यायालय की धारणा के विरुद्ध है, जिसमें आम जनता द्वारा नरिणय की समीक्षा की जा सकती है।
- **विविध पहुँच:**
 - सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का उपयोग एक असमान स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जिन पक्षों के पास सीलबंद कवर में जानकारी तक पहुँच है, उन्हें उन लोगों पर लाभ हो सकता है जिनके पास नहीं है।
- **जवाब देने का सीमित अवसर:**
 - जिन पक्षों को सीलबंद लफिफे में दी गई जानकारी की जानकारी नहीं है, उनके पास इसमें प्रस्तुत सबूतों या तर्कों का जवाब देने या चुनौती देने का अवसर नहीं उपलब्ध हो सकता है, जो उनके मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता को कमजोर कर सकता है।
- **दुरुपयोग का जोखिम:**
 - सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का दुरुपयोग उन पक्षों द्वारा किया जा सकता है जो ऐसी जानकारी को छिपाना चाहते हैं जो वैध रूप से गोपनीय नहीं है, या जो कानूनी प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये इसका उपयोग करते हैं।
- **नष्पिकष परीक्षण में हस्तक्षेप:**
 - सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का उपयोग नष्पिकष ट्रायल (सुनवाई) के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि पार्टियों के पास नरिणय लेने की प्रक्रिया में विचार किये जाने वाले सभी प्रासंगिक सबूतों या तर्कों तक पहुँच नहीं हो सकती है।
- **मनमानी प्रकृति:**
 - सीलबंद कवर अलग-अलग न्यायाधीशों पर निर्भर होते हैं जो सामान्य अभ्यास के बजाय किसी विशेष मामले में एक बट्टी की पुष्टि करना चाहते हैं। यह अभ्यास को तदर्थ और मनमाना बनाता है।

सीलबंद न्यायशास्त्र पर SC की क्या टिप्पणियाँ:

- **पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य वाद (2019):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी द्वारा दस्तावेजों का खुलासा करना संवैधानिक रूप से अनविर्य है, भले ही जाँच जारी हो क्योंकि दस्तावेजों से मामले की जाँच में सफलता मिल सकती है।
- **INX मीडिया वाद (2019):**
 - वर्ष 2019 में INX मीडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन नदिशालय (ED) द्वारा सीलबंद लफिफे में जमा किये गए दस्तावेजों के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री को जमानत देने से इनकार करने के अपने फैसले को आधार बनाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय की आलोचना की थी।
 - इसने इस कार्रवाई को नष्पिकष सुनवाई की अवधारणा के खिलाफ बताया।
- **कमांडर अमति कुमार शर्मा बनाम भारत संघ वाद (2022):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, 'प्रभावित पक्ष को संबंधित सामग्री का खुलासा नहीं करना और न्यायिक प्राधिकरण को सीलबंद लफिफे में इसका खुलासा करना; एक खतरनाक मसाला कायम करता है। न्यायिक प्राधिकारी को सीलबंद लफिफे में संबंधित सामग्री का खुलासा करने से नरिणय की प्रक्रिया अस्पष्ट और अपारदर्शी हो जाती है।

आगे की राह:

- सीलबंद न्यायशास्त्र का उपयोग उचित प्रक्रिया, नष्पिकष परीक्षण और खुले न्याय के सिद्धांतों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए, और मामले की विशिष्ट परस्थितियों के लिये उचित और आनुपातिक होना चाहिए।
- न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन पक्षों को सीलबंद लफिफे की जानकारी नहीं है, उन्हें अपना पक्ष पेश करने और उसमें प्रस्तुत साक्ष्यों या तर्कों को चुनौती देने का उचित अवसर दिया जाए।

स्रोत: द हट्टि

